रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 321] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 15, 2009/आश्विन 23, 1931
No. 321] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 15, 2009/ASVINA 23, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जाँच शुरुआत अधिसूचना (निर्णायक समीक्षा)

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2009

विषयः- चीन जन.गण., जापान, यूएसए तथा यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित माइका पर्ल पिगमेंट के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा ।

सं. 15/5/2009-डीजीएडी.— यतः 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम एवं सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन, संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जन.गण., जापान, यूएसए तथा यूरोपीय संघ (जिन्हें एतद्पश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित माइका पर्ल पिगमेंट (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर दिनांक 22 सितम्बर, 2004 की अधिसूचना सं. 14/22/2003-डीजीएडी द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी एवं भारत सरकार द्वारा ऐसा निश्चयात्मक शुल्क दिनांक 21 मार्च, 2005 की अधिसूचना सं. 30/2005 द्वारा अधिरोपित किया गया था ।

2. समीक्षा तथा जांच शुरूआत हेतु अनुरोधः

और यतः 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1975 के अनुसार यदि अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क को पहले वापस न लिया जाए तो वह ऐसे अधिरोपण की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा और उपर्युक्त नियमावली में प्राधिकारी से पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण जारी रखने की आवश्यता की समय-समय पर समीक्षा करने की अपेक्षा की गई है ।

और यतः पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के 4 वर्ष पूरे होने पर घरेलू उद्योग को दिनांक 4 मई, 2009 एवं 21 अगस्त, 2009 को चेतावनी पत्र भेजे गए थे, जिनमें उल्लेख किया गया था कि निर्दिष्ट

प्राधिकारी द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 9क(5) के अंतर्गत यह अभिनिश्चय करने के उद्देश्य से कि क्या इस मामले में पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिए जाने पर पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, निर्णायक समीक्षा करने का विचार किया जा रहा है और उनसे इस मामले में सम्बद्ध देशों से किए गए आयातों और आयात से संबंधित साक्ष्य, यदि कोई हो, एवं पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के प्रभाव के संबंध में पूरी सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था ।

और यतः मेसर्स सुदर्शन केमिकल्स इण्डस्ट्रीज लि0, 162, संगम ब्रिज, डॉ. अम्बेडकर रोड (वेलेजली रोड), पुणे-411001, जो दिनांक 22 दिसम्बर, 2004 के मूल अंतिम जांच परणाम में घरेलू उद्योग है, ने अब तक निर्णायक समीक्षा हेतु पूर्णतः प्रलेखित याचिका प्रस्तुत नहीं की है ।

और यतः माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) सं. 16893/06 में दिनांक 1.11.2007 को दिए गए निर्णय में कहा है कि:-

" (क) निर्णायक समीक्षा अनिवार्य है ।

(ख) नियमावली के नियम 23 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्णायक समीक्षा की जानी अपेक्षित है ।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के अनुसरण में प्राधिकारी शुल्क की समाप्ति के संदर्भ में चीन जन.गण., जापान, यूएसए एवं यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित माइका पर्ल पिगमेंट के आयातों के संबंध में पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति होने की जांच करने के लिए निर्णायक समीक्षा जांच की एतद्द्वारा शुरूआत करते हैं ।

3. विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तुः

मूल जांच शुरूआत अधिसूचना में इस उत्पाद पर विचार किया गया था और इसे "कोई अकार्बनिक पिगमेंट/रंजक एजेंट जो पर्ल सेंट प्रभाव, धात्विक प्रभाव जैसा चमकीला/भडकीला/फ्रॉस्टेड प्रभाव उत्पन्न करता है और बाजार में जिसे वाणिज्यिक दृष्टि से टाइटेनियम डाई ऑक्साइड अथवा आयरन ऑक्साइड कोटेड माइका पर्ल पिगमेंट अथवा पर्ल लस्टर पिगमेंट अथवा पर्ल पिगमेंट कहा जाता है" के रूप में परिभाषित किया गया था और जांच कार्यवाही के दौरान आयातकों व निर्यातकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद का मुद्दा उठाया गया था और यह कहते हुए माइका पर्ल पिगमेंट के आटोमोटिव एवं कॉस्मेटिक ग्रेडों को जांच के दायरे से बाहर रखने का अनुरोध किया गया था कि माइका पर्ल पिगमेंट का विनिर्माण एवं उपयोग मुख्यतः तीन अनुप्रयोगों अर्थात आटोमोटिव, कॉस्टमेटिक एवं औद्योगिक अनुप्रयोगों हेतु किया जाता है और तदनुसार यह निम्नलिखित तीन ग्रेडों में उपलब्ध होता है :-

(क) औद्योगिक ग्रेड, जिसका प्रयोग टेक्सटाइल प्रिंटिंग, प्लास्टिक उद्योग तथा अन्य अनेक अनुप्रयोगों में किया जाता है;

(ख) कॉस्मेटिक ग्रेड, जिसका प्रयोग रंगीन सौन्दर्य प्रसाधनों एवं टॉयलेटरीज में किया जाता है, और

(ग) ऑटोमेटिव ग्रेड, जिसका प्रयोग आटोमोटिव पेन्ट तथा अन्य किस्म के पेन्ट के विनिर्माण में किया जाता है ।

प्राधिकारी ने मूल अन्तिम जांच परिणाम में आटोमेटिव तथा कॉस्मेटिक अनुप्रयोग वाले माइका पल पिगमेंट को हटा दिया था । वर्तामान जांच एक निर्णायक समीक्षा है और विचाराधीन उत्पाद वही है जिसे मूल जांच में "आटोमोटिव तथा कॉस्मेटिक ग्रेडों को छोड़कर माइका पर्ल पिगमेंट" के रूप में परिभाषित किया गया है ।

विचाराधीन सम्बद्ध वस्तुएं सम्बद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तुओं के समान वस्तुएं हैं । इस नियमावली के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सम्बद्ध वस्तुओं को सम्बद्ध देशों/भू-भागों से आयातित वस्तुओं के समान वस्तु माना जा रहा है ।

घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित सम्बद्ध वस्तुओं और सम्बद्ध देशों से आयातित उत्पाद के बीच कोई अंतर नहीं पाया गया है । आवेदक द्वारा उत्पादित सम्बद्ध वस्तुएं आयातित उत्पाद से वाणिज्यिक तथा तकनीकी दृष्टि से प्रतिस्थापनीय है, अतः समान वस्तु की शर्त पूरी हो जाती है । प्राधिकारी ने पाया है कि निर्यातकों से प्राप्त सूचना के आधार पर घरेलू सम्बद्ध वस्तुएं आयातित उत्पाद के समान हैं । अतः प्राधिकारी का अभिमत है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं एवं सम्बद्ध देशों से निर्यातित वस्तुएं पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अर्थ के भीतर समान वस्तुएं हैं ।

4. शामिल देशः

वर्तमान निर्णायक समीक्षा में शामिल देश चीन जन.गण., जापान, यूएसए तथा यूरोपीय संघ हैं, जिन्हें एतद्पश्चात सम्बद्ध देश कहा गया है ।

5. जांच अवधिः

वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 01.04.2008 से 31.03.2009 है । तथापि क्षति विश्लेषण में वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 तथा जांच अवधि को शामिल किया जाएगा ।

6. प्रक्रियाः

दिनांक 22 दिसम्बर, 2004 की अधिसूचना सं. 14/22/2003-डीजीएडी द्वारा जारी अंतिम जांच परिणाम की समीक्षा का निर्णय करने एवं दिनांक 21 मार्च, 2005 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 30/2005 द्वारा अंतिम शुल्क लगाए जाने के उपरांत प्राधिकारी सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 एवं सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन, संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुसरण में यह समीक्षा करने के लिए कि क्या संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तओं के आयातों के सन्दर्भ में पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने की परिणति पाटन एवं क्षति की पुनरावृत्ति में होगी, समीक्षा जांच की एतद्द्वारा शुरूआत करते हैं । समीक्षा में दिनांक 22 दिसम्बर, 2004 की अधिसूचना सं. 14/22/2003-डीजीएडी (मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम) के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है । प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त पैराग्राफ 3 में उल्लिखित घरेलू उत्पादक को उपर्युक्त नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग मानने का प्रस्ताव है, क्योंकि भारत में सम्बद्ध वस्तुओं के उत्पादन में उनका प्रमुख अनुपात है ।

7. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

संबद्ध देशों के निर्यातकों, संबद्ध देशों की सरकारों को उनके भारत स्थित दूतावासों के माध्यम से तथा भारत में इस उत्पाद के ज्ञात निर्यातकों व प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रारूप तथा तरीके

से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने और अपने विचारों से निर्दिष्ट प्राधिकारी को निम्नलिखित पतें पर अवगत कराने हेतु अलग से पत्र भेजे गए हैं :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
वाणिज्य विभाग,
उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110011
फैक्सः 91-11-23061377

अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी निर्धारित प्रारूप तथा तरीके से अपनी सूचना निम्नलिखित अवधि के भीतर प्रस्तुत कर सकता है ।

8. समय-सीमा

वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना तथा सुनवाई संबंधी अनुरोध इस प्रकार भिजवाया जाए, ताकि वह निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राप्त हो जाए । यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी, उपर्युक्त नियमावली के अनुसरण में, रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।

9. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करनाः

नियम 7 के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों से अपेक्षित है कि वे प्राधिकारी को प्रदत्त गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करें और यदि ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार की राय में ऐसी सूचना का सारांश नहीं बनाया जा सकता हो, तो उसके कारणों का विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

10. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षणः

नियम 6(7) के अनुसरण में कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है । ऐसे मामले में, जहाँ कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने से मना करता है अथवा अन्यथा उचित अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं करता अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को ऐसी सिफारिश कर सकते हैं, जिन्हें वे उपयुक्त समझते हों ।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)
Initiation Notification (Sunset Review)
New Delhi, the 15th October, 2009

Sub: Sunset Review of Anti-Dumping investigations concerning imports of Mica Pearl Pigment from China PR, Japan, USA & European Union.

No. 15/5/2009-DGAD.—Whereas the Designated Authority, having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, recommended imposition of definitive Anti Dumping Duty on imports of Mica Pearl Pigment (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR, Japan, USA & European Union (hereinafter referred as subject countries), vide Notification No. 14/22/2003-DGAD dated 22nd December, 2004 and such definitive duty was imposed by the Govt. of India vide Customs Notification No. 30/2005 dated 21st March, 2005.

2. Request for Review and Initiation:

AND WHEREAS in terms of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1975 as amended in 1995 the Anti Dumping Duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Rules supra require the Authority to review from time to time, the need for continued imposition of Anti Dumping Duty.

AND WHEREAS following the completion of 4 years of the anti dumping duty imposed, alert letters dated 4th May,2009 and 21st August,2009 were sent to the domestic industry stating that the Designated Authority is contemplating to undertake Sunset Review under Section 9A(5) of Customs Act with a view to ascertain whether the cessation of the anti dumping duty in this case is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury and they were requested to give full information regarding extent of imports from subject countries and evidence relating to dumping, if any, and impact of cessation of the anti dumping duty in this case.

AND WHEREAS M/s. Sudarshan Chemicals Industries Ltd., 162, Sangam Brdige Dr. Ambedkar Road, (Wellesley Road), Pune – 411001,who was the domestic industry in the original Final Findings dated 22nd December, 2004 have so far not filed duly substantiated petition for Sunset Review .

3741/5/09-2

And whereas the Hon'ble High Court of Delhi in Writ Petition (Civil) No. 16893/06 vide Judgement dated 1.11.2007 has held that

"(a) Sunset Review is mandatory

(b) Sunset Review is required to be conducted in accordance with the procedure laid down in Rule 23 of the Rules"

Pursuant to the above said Order of the Hon'ble High Court of Delhi, the Authority hereby initiates this Sunset Review investigation to examine the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury on imports of Mica Pearl Pigment originating in or exported from China PR, Japan, USA & European Union on the event of cessation of the duty.

3. Product under consideration and Like Article:

In the original Initiation Notification the product was considered and described as "certain inorganic pigments/colouring agents giving lustrous/shinning/frosted effects, such pearl scent effects, metallic effects, commercially known in the market place as Titanium Dioxide or Iron Oxide coated Mica Pearl Pigment or Pearl Luster Pigments or Pearl Pigment" and during the course of investigation the issue regarding the product under consideration was raised by the exporters and importers and requested for exclusion of automotive and cosmetic grades of Mica Pearl Pigment stating that Mica Pearl Pigment is manufactured and used for three applications mainly automotive, cosmetic and industrial applications and accordingly are available in following three grades;

(a) industrial grade used for textile printing, plastic industries and many more industrial applications,

(b) cosmetic grade used in colour cosmetics and toiletries, and

(c) automotive grade used for manufacture of automotive paint and other paints.

The Authority in the original Final Findings excluded Mica Pearl Pigment for automotive and cosmetic applications. The present investigation is a Sunset Review and the product under consideration remains the same as has been defined in the original investigation "Mica Pearl Pigment excluding automotive and cosmetic grades".

The subject goods under consideration are like articles to the goods originating in or exported from the subject countries. Subject goods produced by the domestic industry are being treated as Like Articles to the goods imported from the subject countries/territories within the meaning of the Rules.

There was no difference found between the subject goods manufactured by the domestic industry and the imported product from subject countries. The subject goods produced by the applicant are commercially and technically substitutable to the imported product and hence conditions of like article are satisfied. The Authority found that the domestic subject goods are similar to the imported product based on the information

received from the exporters. The Authority, therefore, held that the goods produced by the domestic industry and those exported from the subject countries are like article within the meaning of the Rule 2(d) of AD Rules.

4. **Countries involved:**

The territories/countries involved in the present Sunset Review are China PR, Japan, USA & European Union. (referred to as subject countries hereinafter).

5. **Period of Investigation:**

The Period of Investigation for the purpose of the present review is from 01.04.2008 to 31.03.2009. However, injury analysis shall cover the period 2005-06, 2006-07, 2007-08 and POI.

6. **Procedure:**

Having decided to review the Final Findings issued vide Notification No. 14/22/2003-DGAD dated 22nd December, 2004 and final duty imposed vide Customs Notification No. 30/2005 dated 21st March, 2005, the Authority hereby initiates investigations to review whether cessation of Anti Dumping duty is likely to lead to recurrence of Dumping and injury on imports of subject goods originating in or exported from subject countries in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995. The review covers all aspects of Notification No.14/22/2003-DGAD dated 22nd December, 2004 (Final Findings of the original investigations). The Authority proposes to consider domestic producer as mentioned in paragraph 3 above as domestic industry in accordance with the Rules supra as they constitute the major proportion of the production of the subject goods in India.

7. **Submission of Information:**

The exporters in subject countries, the Governments of subject countries through their Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the product and the domestic industry, are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority at the following address:

Government of India
Ministry of Commerce and Industry
The Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Department of Commerce
Room No.240, Udyog Bhavan,
New Delhi-110107.

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

8. **Time Limit:**

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

9. **Submission of information on Non-confidential basis:**

In terms of Rule 7 the interested parties are required to submit non-confidential summary of any confidential information provided to the Authority and if in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summary, a statement of reason thereof is required to be provided.

10. **Inspection of public file:**

Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties in terms of Rule 6 (7). In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

R. GOPALAN, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.